प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)

कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस

समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर 16/2026
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि प्रार्थी श्री मनीष अग्रवाल पुत्र श्री बृज किशोर अग्रवाल निवासी श्री मंगलम रोड नं. 02 पम्प हाउस के सामने मान नगर झुंझुनूं राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत संजीवनी प्रन्यास झुंझुनूं के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।

अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें। और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच प्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 21.01.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।

आइदा तारीख पेशी 25.03.2026

मोहर अदालत

सहायक आयुक्त (द्वितीय)
देवस्थान विभाग जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)

कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस

समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर 14/2026
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि प्रार्थी श्री मनीष अग्रवाल पुत्र श्री बृज किशोर अग्रवाल निवासी श्री मंगलम रोड नं. 02 पम्प हाउस के सामने मान नगर झुंझुनूं राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास सवेंदना, ए-6 मंगलम, स्टेशन रोड झुंझुंनू के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।

अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें। और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच प्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 21.01.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।

आइदा तारीख पेशी 25.03.2026

मोहर अदालत

सहायक आयुक्त (द्वितीय)
देवस्थान विभाग जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)

कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस

समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर 13/2026
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि प्रार्थी श्री मनीष अग्रवाल पुत्र श्री बृज किशोर अग्रवाल निवासी श्री मंगलम रोड नं. 02 पम्प हाउस के सामने मान नगर झुंझुनूं राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत सुमित पारीक चैरिटेबल ट्रस्ट, ए-6 मंगलम, स्टेशन रोड झुंझुनूं के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।

अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें। और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच प्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 21.01.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।

आइदा तारीख पेशी 25.03.2026

मोहर अदालत

सहायक आयुक्त (द्वितीय)
देवस्थान विभाग जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)

कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस

समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर 12/2026
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि प्रार्थी श्री मनीष अग्रवाल पुत्र श्री बृज किशोर अग्रवाल निवासी श्री मंगलम रोड नं. 02 पम्प हाउस के सामने मान नगर झुंझुनूं राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत ननू सर्व सेवा संस्थान, ए-6 मंगलम, स्टेशन रोड झुंझुनूं के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।

अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें। और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच प्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 21.01.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।

आइदा तारीख पेशी 25.03.2026

मोहर अदालत

सहायक आयुक्त (द्वितीय)
देवस्थान विभाग जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)

कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस

समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर 119/2026
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि प्रार्थी श्री शिवराज सिंह निवासी डी-16 उमा पथ राम नगर सोडाला जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत श्री तंवरावाटी राजपूत सभा समिति श्री प्रताप हॉस्टल नीम का थाना सीकर के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।

अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें। और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच प्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 03.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।

आइदा तारीख पेशी 08.04.2026

मोहर अदालत

सहायक आयुक्त (द्वितीय)
देवस्थान विभाग जयपुर

समस्या समाधान शिविर 6 फरवरी को

सीकर (निसं)। पूर्व सैनिकों, युद्ध वीरांगनाओं एवं उनके आश्रितों के कल्याणार्थ मासिक शिविर का आयोजन 6 फरवरी 2026 को प्रात: 11 बजे अटल सेवा केन्द्र हमिरपुरा में आयोजित किया जावेगा। कर्नल ब्रिजेन्द्र सिंह महला जिला सैनिक कल्याण अधिकारी सीकर ने बताया कि नजदीकी गावों के समस्त पूर्व सैनिकों, युद्ध वीरांगनाओं एवं उनके आश्रितों को सूचित किया जाता है कि वे समस्या समाधान शिविर में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर अपनी समस्या के निदान करावें। सभी पूर्व सैनिकों से निवेदन है कि वे अपने साथ स्पर्श पिपीओ, डिस्चार्ज बुक व बैंक पास बुक साथ लेकर आयें। अधिक से अधिक संख्या में नजदीकी गांवों से वीरांगनाएं एवं भूतपुर्व सैनिक शिविर में पहुंचने की कृपा करें।

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करते हैं मेरे मुवक्किल **श्री भरत पाल सिंह पुत्र श्री अर्जुन सिंह** कि दुकान संख्या 33 (द्वितीय तल), स्थित जे.बी. मार्केट, कस्बा रतनगढ़ (रामसगरिया कुआँ), जिला चूरू, राजस्थान, क्षेत्रफल 99.35 वर्ग फीट, का मूल पट्टा राजस्थान सरकार (तत्कालीन बीकानेर सरकार) द्वारा रामविलास पुत्र रामपतदास एवं सागरमल पुत्र रामविलास के नाम जारी किया गया था, तत्पश्चात ललित कुमार पुत्र स्व. शिवकुमार द्वारा दिनांक 18.06.1990 को श्रीमती बनारसी देवी पत्नी राजकुमार एवं श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी कन्हैयालाल के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित किए गए जो उप-पंजीयक, रतनगढ़ के समक्ष पंजीकृत हुए, बाद में नगर पालिका रतनगढ़ द्वारा निर्माण अनुमति पत्र क्रमांक 2000/5831 दिनांक 19.12.2000 जारी किया गया, तत्पश्चात कन्हैयालाल पुत्र सुंदरलाल, बिनोद कुमार कडेल, मोहन कडेल एवं गीता सोनी द्वारा मनोज कुमार कडेल पुत्र कन्हैयालाल के पक्ष में पावर ऑफ अटॉर्नी दिनांक 22.06.2010 निष्पादित की गई जो उप-पंजीयक A.R.A.-III, कोलकाता में पंजीकृत हुई, जिसके आधार पर मनोज कुमार कडेल ने दिनांक 26.07.2024 को पप्पू चावला पुत्र नेमीचंद के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित किया जो उप-पंजीयक, रतनगढ़ के समक्ष पंजीकृत हुआ, तथा अंत में पप्पू चावला पुत्र नेमीचंद द्वारा उक्त संपत्ति मेरे मुवक्किल श्री भरत पाल सिंह पुत्र अर्जुन सिंह के पक्ष में विक्रय पत्र दिनांक 22.01.2026 द्वारा विक्रय की गई जो उप-पंजीयक, रतनगढ़ के समक्ष विधिवत पंजीकृत है, तथा उक्त संपत्ति के विरुद्ध मेरे मुवक्किल द्वारा Cholamandalam Investment & Finance Company Limited से ऋण लिया जा रहा है और इस पर किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति नहीं है। यदि फिर भी किसी व्यक्ति/संस्था का किसी भी प्रकार का हक, अधिकार, दावा, आपत्ति, बंधक, ऋण, भार अथवा वाद लंबित हो तो वह इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से **7 (सात) दिवस** के भीतर समस्त प्रमाणों सहित अधोहस्ताक्षरी अधिवक्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करे, अन्यथा यह माना जाएगा कि किसी को भी उक्त संपत्ति पर कोई दावा या आपत्ति नहीं है और भविष्य में कोई दावा मान्य नहीं होगा।

दिनांक 03.02.2026
जोधपुर

मुकुंद पंचारिया (अधिवक्ता)
राजस्थान उच्च न्यायालय
मो.: 7793033590, 9829290229

उत्तर पश्चिम रेलवे

ई-ऑक्शन सूचना

मण्डल रेल प्रबन्धक (वाणिज्य), उत्तर पश्चिम रेलवे, बीकानेर भारत के राष्ट्रपति की ओर से बीकानेर मण्डल पर लीजिंग, एम एस एस, Advertisement -out of Home, Advertisement on station premise Digital, Advertisement on station premise Non-Digital Advertisement - Train Exterior (Below window), पे एण्ड यूज टॉयलेट, पार्किंग, ठेको के लिए ई-ऑक्शन प्रारम्भ किये गये है जिनका विवरण निम्न प्रकार है : **कैटलॉग संख्या:** EA-Lease-17-26, **कार्य का नाम व स्थान:** लीजिंगः- 14029, 20475, 15633, 14707, 22916,12486, 22982, 14707, 20846, 14715, 20471, 14701, 07054, 12240, 14815,22473, **ई-आक्शन की दिनांक व समय:** दिनांक 06.02.2026 समय 11:00 बजे ई-ऑक्शन होगा, **कैटलॉग संख्या:** EA-ADVT-VW-4-26, **कार्य का नाम व स्थान:** Advertisement-Train Exterior (Below window): Train No. 22497-98 (SGNR-TPJ), Train No.14727-28(SGNR-YKJ)&14737-38(BNW-TKJ), Train No.54701-02(LGH-ABS) 04771-72 (APH-BTI), 04783-84(SSA-BTI) & 14721-22 (JU-BTI), Train No. 12485-86 (SGNR-NED) & 12439-40(SGNR-NED), TrainNo.04777-78(HMH-SDLP), 04773-74 (SGNR-SOG), 04775-76(SDLP-HMH), 04779-80(SGNR-SOG) & 54759-60/54761-62(HMH-SOG)&54763-64(SGNR-SDLP), Train No.04703-04(HMH-SGNR) 04705-06 (HMH-JP TOD), 14735-36 (SGNR-UMB), 54753-54(SGNR-BTI) & 54765-66(DUI-BTI), Train No. 12489-90 (SGNR-DDR), Train No. 14701-02 (SGNR-BDTS), Train No. 14707-08 (HMH-DDR), **ई-आक्शन की दिनांक व समय:** दिनांक 06.02.2026 समय 15:00 बजे ई-ऑक्शन होगा, **कैटलॉग संख्या:** EA LEASE 03, **कार्य का नाम व स्थान:** लीजिंगः- 12372, **ई-आक्शन की दिनांक व समय:** दिनांक 09.02.2026 समय 12:00 बजे ई-ऑक्शन होगा, **कैटलॉग संख्या:** EA PARKING 03, **कार्य का नाम व स्थान:** श्रीगंगानगर रेलवे स्टेशन पर कार पार्किंग स्टेण्ड एवं सादुलपुर रेलवे स्टेशन पर साईकल, स्कूटर, मोटर साईकल, कार पार्किंग स्टेण्ड, **ई-आक्शन की दिनांक व समय:** दिनांक 09.02.2026 समय 15:00 बजे ई-ऑक्शन होगा, **कैटलॉग संख्या:** EA-PNU-4-26, **कार्य का नाम व स्थान:** सिरसा, सूरतगढ़, मण्डीडबवाली, कोसली, रतनगढ़, चरखीदादरी रेलवे स्टेशनो पर पे एण्ड यूज टॉयलेट की साफ-सफाई हेतु, **ई-आक्शन की दिनांक व समय:** दिनांक 12.02.2026 समय 14:00 बजे ई-ऑक्शन होगा, **कैटलॉग संख्या:** E A - Parking-4-26, **कार्य का नाम व स्थान:** कोसली, गोगामेड़ी, श्रीकरणपुर, लालगढ़ रेलवे स्टेशनों पर साईकल, स्कूटर, मोटर साईकल, कार पार्किंग स्टेण्ड, **ई-आक्शन की दिनांक व समय:** दिनांक 12.02.2026 समय 15:00 बजे ई-ऑक्शन होगा, **कैटलॉग संख्या:** EA-PNU-5-26, **कार्य का नाम व स्थान:** लालगढ़ रेलवे स्टेशन पर पे एण्ड यूज टॉयलेट की साफ-सफाई हेतु, **ई-आक्शन की दिनांक व समय:** दिनांक 13.02.2026 समय 10:00 बजे ई-ऑक्शन होगा, **कैटलॉग संख्या:** M S S - B K N - TWnOPS, **कार्य का नाम व स्थान:** बीकानेर रेलवे स्टेशनों के पार्सल कार्यालय में सुविधा काउंटर स्थापित करके दोपहिया वाहनों और पार्सल/सामान पैकेजों के लिए पैकिंग सेवाओं का प्रावधान करना, **ई-आक्शन की दिनांक व समय:** दिनांक 13.02.2026 समय 10:00 बजे ई-ऑक्शन होगा, **कैटलॉग संख्या:** EA-ADVT-18-26, **कार्य का नाम व स्थान:** Advertisement - out of Home at: हनुमानगढ़, नोहर, रतनगढ़, सूरतगढ़, रायसिंहनगर, सादुलपुर, सतनाली, श्रीगंगानगर, गोगामेड़ी। Advertisement-Train Exterior (Below window):- Train No. 22471/72 LGH-DEE Exp with Link 20473/74 DEE-UDZ EXP Advertisement on station premise Digital at:- मण्डीडबवाली। Advertisement on station premise Non-Digital at:- सूरतगढ़, हनुमानगढ़, सिरसा, **ई-आक्शन की दिनांक व समय:** दिनांक 13.02.2026 समय 11:00 बजे ई-ऑक्शन होगा, **कैटलॉग संख्या:** EA-PNU-BKN-PRS, **कार्य का नाम व स्थान:** बीकानेर रेलवे स्टेशन पी.आर.एस के पास पे एण्ड यूज टॉयलेट की साफ-सफाई हेतु, **ई-आक्शन की दिनांक व समय:** दिनांक 16.02.2026 समय 13:00 बजे ई-ऑक्शन होगा, **कैटलॉग संख्या:** E A - Parking- 05, **कार्य का नाम व स्थान:** बीकानेर रेलवे स्टेशन प्रथम प्रवेश द्वार एटीएम के पास साईकल, स्कूटर, मोटर साईकल पार्किंग स्टेण्ड।, **ई-आक्शन की दिनांक व समय:** दिनांक 16.02.2026 समय 15:00 बजे ई-ऑक्शन होगा। अन्य सूचना एवं नियम व शर्तो के लिये IREPS की वेबसाईट www.ireps.gov.in पर लॉगिन करे।

170-PS/26

हमें /NWRailways /NWRailways_ पर फॉलो करें

महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं का औचक निरीक्षण किया

सीकर, (निसं)। उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग सीकर डॉ. सुनील कुमार जांगिड़ ने बताया कि सरोज ढाका, उप निदेशक (वि.खा.का.), समेकित बाल विकास सेवाएं राजस्थान, जयपुर द्वारा सीकर जिले में औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कार्यालय उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, सीकर तथा आंगनबाडी केन्द्र 32-2 (वार्ड नंबर7), सीकर शहरमें विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं सेवाओं की गहन समीक्षा की गई।

निरीक्षण के दौरान वर्तमान में संचालित प्रेरणा अभियान 2.0 के अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों के सर्वे क्षेत्र में आने वाले सभी पात्र लाभार्थियों का अधिकाधिक पंजीकरण सुनिश्चित करने, 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की अपार आईडी बनाए जाने, केन्द्र पर पंजीकृत समस्त लाभार्थियों की आभा आईडी तैयार करने तथा पंजीकृत बच्चों की सतत वृद्धि निगरानी सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए। भारत सरकार की नई शिक्षा नीति के अंतर्गत आंगनबाडी केन्द्रों पर ईसीसीई के तहत संचालित पोषण भी, पढ़ाई भी कार्यक्रम का भी निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर शत-प्रतिशत बच्चों की आंगनबाडी केन्द्रों पर नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

निरीक्षण के दौरान उप निदेशक ने मानदेयकर्मियों, केन्द्र पर उपस्थित बच्चों, महिला पर्यवेक्षकों एवं अधिकारियों से संवाद किया तथा सभी कार्मिकों की कर्तव्यपरायणता की सराहना करते हुए विभागीय कार्यो के प्रति समर्पित भाव से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया।

इस अवसर पर डॉ. सुनील कुमार जांगिड उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग सीकर, रिया पूनियां सीडीपीओ सीकर शहर, महिला पर्यवेक्षक सरिता ढाका, शेव सिंह शेखावत सहायक प्रशासनिक अधिकारी, नरेन्द्र सिंह शेखावत सहायक सांख्यिकी अधिकारी, कुलदीप सिंह शेखावत सहायक लेखाधिकारी द्वितीय, विजेन्द्र सिंह सहायक प्रोग्रामर, कनिष्ठ सहायक दीपेन्द्र, सुभाष कुमार, आंगनबाडी कार्यकर्ता रामप्यारी देवी एवं सहायिका पिंकी उपस्थित रहे।

ग्राम उत्थान शिविर आयोजित

सीकर, (निसं)। सीकर जिले में "ग्राम उत्थान शिविर 2026" के अन्तर्गत आयोजित विभिन्न गतिविधियों के क्रम में खण्डेला गिरदावर सर्किल में आयोजित शिविरों के माध्यम से ग्रामीणों को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने की प्रभावी पहल की गई।

सीकर केन्द्रीय सहकारी बैंक से संबंधित गोकुल का बास, गुरारा, दायरा एवं रॉयल ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड में आयोजित इन शिविरों में अध्यक्ष, व्यवस्थापक सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। शिविरों के दौरान बैंक की अधिशाषी अधिकारी डॉ. ज्योति द्वारा ग्रामीणों को राज्य सरकार की बैंक से संबंधित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार किसानों को शून्य ब्याज दर पर अल्पकालीन फसली ऋण उपलब्ध करा रही है।

हिंदू सम्मेलन में विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श हुआ

राजलदेसर (निसं)। राजलदेसर में गाँधी बस्ती के आचार्य चौक में आयोजित हिंदू सम्मेलन में समाज, संस्कृति, पर्यावरण और राष्ट्र निर्माण से जुड़े विषयों पर गहन विचार-विमर्श हुआ। सम्मेलन का उद्देश्य हिंदू समाज को संगठित कर समरस, स्वाभिमानी और कर्तव्यनिष्ठ भारत के निर्माण की दिशा में प्रेरित करना रहा।

सम्मेलन का शुभारंभ मंचस्थ अतिथि कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे संत सुरजीत नाथ महाराज ,संत रुद्र नाथ महाराज, संत नंदीनाथ महाराज विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री अरविंद मिश्रा, भागीरथ रेगर, लालचंद आचार्य, जगदीश प्रजापत, ब्रह्मदत्त आचार्य, लालचंद खटीक , श्याम सुंदर कटारिया ने भारत माता के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर व पुष्प अर्पित कर किया गया कार्यक्रम में बडी संख्या में समाज के विभिन्न वर्गों की सहभागिता रही। सम्मेलन के मुख्य वक्ता अरविंद मिश्रा ने अपने उद्बोधन में कहा कि हिंदू धर्म कोई संकीर्ण पूजा पद्धति नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक समग्र कला है।

उन्होंने कहा कि विश्व शांति और मानव कल्याण के लिए भारत में हिंदू समाज का एकजुट रहना आज नितांत आवश्यक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि भारत एक शरीर है तो हिंदू उसकी आत्मा हैं और यह संबंध सनातन काल से चला आ रहा है। कार्यक्रम में संत सुरजीतनाथ महाराज ने सामाजिक समरसता पर विचार रखते हुए कहा कि एक पनघट और एक मरघट पर सभी भेद समाप्त हो जाते हैं, यही समरसता का वास्तविक स्वरूप है। उन्होंने कहा कि भारत में जन्म लेना हमारा सौभाग्य है और प्रत्येक परिवार को वर्ष में कम से कम एक बार धार्मिक स्थलों की यात्रा अवश्य करनी चाहिए।

उन्होंने मातृशक्ति की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि परिवार को एकजुट रखने और धार्मिक-सांस्कृतिक संस्कार देने में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। कुटुंब प्रबोधन पर बल देते हुए कहा कि प्रत्येक घर में ॐ और स्वस्तिक जैसे सांस्कृतिक प्रतीकों का सम्मान, तुलसी का पौधा, स्वदेशी परिधान और मातृभाषा में संवाद होना चाहिए। उन्होंने भोजन के समय मोबाइल के स्थान पर पारिवारिक संवाद को प्राथमिकता देने, परिवार के साथ धार्मिक यात्राएँ करने और प्रात:काल धरती माता के चरण स्पर्श जैसे संस्कारों को जीवन में अपनाने का आग्रह किया।

इस मौके पर पर्यावरण के क्षेत्र में तथा सामाजिक समरता, संयुक्त परिवार सहित अन्य क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों का सम्मान किया गया। इस मौके पर संघ के कार्यकर्ता धनराज सैन, ललित दाधीच , ख्यालीराम रेगर, सुभाष शर्मा, श्रवण आचार्य, रामनिवास प्रजापत, रतनलाल बारूपाल, पवन मारू, शंकर धेतरवाल, रामलाल खटीक, तुलसीराम पाण्डे, ओमप्रकाश आचार्य, प्रकाश प्रजापत, बिडदी चंद प्रजापत, श्रवण बारूपाल, परमानंद प्रजापत, रामोतार पांडे, राजू आचार्य सहित सैकडों की संख्या में पुरुष व महिला उपस्थित रही। कार्यक्रम का संचालन वीरेंद्र लाटा ने किया।

एग्जाम के तनाव से बचने के लिए एक्सपर्ट टॉक का आयोजन

■ पर्याप्त नींद लें, योगा करें : डॉ. कपूर थालौर

झुंझुनूं, (निसं)। पीएमश्री योजना के अंतर्गत शिक्षा को केवल पाठ्यक्रम तक सीमित न रखते हुए पीएमश्री शहीद कर्नल जेपी जानूं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़ा एक अहम कार्यक्रम आयोजित किया गया।

एक्सपर्ट टॉक में प्रख्यात मनोचिकित्सक डॉ. कपूर थालौर ने मंच से स्पष्ट संदेश दिया कि तनाव नहीं, संतुलन और सही रणनीति ही परीक्षा में सफलता की असली चाबी है। डॉ. थालौर ने विद्यार्थियों को तनाव मुक्त रहने के व्यावहारिक तरीके, समय प्रबंधन की ठोस रणनीति तथा परीक्षा के दौरान अपनाए जाने वाले संतुलित खान-पान पर विस्तार से मार्गदर्शन दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बिना मानसिक दबाव के भी उत्कृष्ट अंक प्राप्त किए जा सकते हैं, बशर्ते तैयारी वैज्ञानिक ढंग से की जाए।

कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों के साथ गहन संवाद हुआ। छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर डॉ. थालौर ने सीधे, तथ्यात्मक और व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत किए। जिससे विद्यार्थियों में आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच मजबूत हुई। विद्यालय के प्रधानाचार्य अभिषेक चौधरी ने इस अवसर पर कहा कि पीएमश्री योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों को शैक्षिणक ही नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी सक्षम बनाना है। उन्होंने छात्रों से अपील की कि वे विशेषज्ञ द्वारा बताए गए सुझावों को जीवन में उतारें, ताकि वे परीक्षा और जीवन-दोनों में सफल हो सकें।

इस अवसर पर विद्यालय का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। पीएमश्री गतिविधियों के अंतर्गत आयोजित यह एक्सपर्ट टॉक विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण और छात्र-केंद्रित शिक्षा की मजबूत मिसाल बनकर सामने आया। डॉ. कपूर थालौर ने बताया कि 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षा देने स्टूडेंट्स को पर्याप्त नींद लेनी चाहिए और हल्का भोजन लें। कुछ समय योगा और मेडिटेशन करें ताकि आत्मविश्वास बना रहे। पेपर को आराम से बिना हडबडाए पूरा पढ़े और अवलोकन के बाद ही हल करें। मोबाइल का उपयोग सिर्फ अध्ययन सामग्री के लिए ही करें। नकल करने और अनुचित सामग्री का विचार मन में नहीं लाए। उन्होंने परीक्षा में समय के प्रबंधन, पढाई का तरीका और परीक्षा के दौरान खानपान आदि के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की।

सम्मेलन आयोजित

तारानगर (निसं)। जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा की अध्यक्षता व भाजपा प्रदेश महामंत्री वक्ता संतोष अहलावत के मुख्यातिथ्य में तारानगर के भाजपा कार्यालय में मंगलवार को विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) योजना विबीजी राम का जिला स्तरीय सम्मेलन सम्पन्न हुआ।

प्रदेश महामंत्री अहलावत ने अपने उद्बोधन में कहा कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन में नई योजनाओं के तहत अब 125 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया गया है जिसमें कार्मिकों को सप्ताह के अंदर रोजगार का भुगतान किया जाएगा। विशिष्ट अतिथि चंद्राराम गुरी ने कहा इस योजना के तहत ग्रामीण एवं शहरी विकास के लिए नए प्रतिमान स्थापित होंगे जिससे नए कार्यों को गति मिलेगी एवं सबको रोजगार मिलेगा। पूर्व विधानसभा प्रत्याशी एवं भाजपा नेता राकेश जांगिड़ ने कहा कि जीरामजी योजना" के नाम परिवर्तन पर विपक्ष इसका दुष प्रचार कर रहा है।

झुंझुनूं एसडीएम को धरनार्थी ने 11 सूत्री मांग पत्र दिया

गुढ़ागौड़जी, (निसं)। स्थानीय पंचायत समिति गुढ़ागौडजी क्षेत्र के ग्राम हुकूमपुरा, बामलास, खेदड़ों की ढाणी एवं खरबासों की ढाणी में जारी अवैध खनन के विरोध में चल रहे धरने के 36वें दिन में झुंझुनूं एसडीएम कौशल्या विश्नोई, तहसीलदार कुलदीप भाटी एवं थानाधिकारी सुरेश रोलन वार्ता करने पहुंचे। जहां पर ग्रामीणों ने 11 सूत्री मांग पत्र सौंपा। वार्ता के दौरान लीजधारकों को धरना स्थल बुलाया। इस दौरान एक लीजधारक ने धमकी भरे लहजे में एडवोकेट जयंत मूंड को बोल दिया। जिसके बाद ग्रामीणों व लीजधारकों के बीच तनातनी का माहौल बन गया। मौके पर मौजूद पुलिस प्रशासन ने बीचबचाव करते हुए टकराव को रुकवाया। एसडीएम व अन्य अधिकारियों ने मौके पर अवैध खनन, गोचर भूमि एवं टूटे हुए मकान व कुओं का मुआयना किया। इस दौरान एसडीएम ने कहा कि इन सब बिंदुओं की जांच कमेटी से की जाएगी व जियोलॉजीकल सर्वे किया जाएगा। मौके पर पटवारी व तहसीलदार को गोचर के अतिक्रमण को हटाने के आदेश दिए। वार्ता के दौरान एडवोकेट जयंत मूंड ने तहसीलदार व स्थानीय प्रशासन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और कहा कि गुढागौडजी में एक तरफ तहसीलदार काटली नदी अतिक्रमण की कार्रवाई कर सुर्खियां बटोर रहे है। वहीं दूसरी तरफ ऐसी रजिस्ट्रियां भी कर रहे है। जिनकी किस्म में गैर मुमकिन नदी दर्ज हैं।

गुमशुदगी सूचना

मैं माया कौर पत्नी रामोवतार जाति नाई निवासी रामपुरा तहसील राजगढ़ जिला चूरू की रहने वाली हूँ जो निम्न कथन शपथ पूर्वक बयान करती हूँ कि :-1. यह कि मेरा पति रामोवतार पुत्र गिरधारी जाति नाई निवासी रामपुरा तहसील राजगढ़ जिला चूरू दिनांक 15.03.2003 को घर से बिना बताये चला गया, जिसको हमनें हमारी रिश्तेदारियों आदि में व आस पास के गांवो में काफी तलाश किया, लेकिन हमें उनका कोई पता नहीं चला तथा मैं उसका अपने आप घर आने का आज तक इन्तजार करती रही परन्तु मेरे पति का आज तक कोई पता नहीं लगा है। और ना ही आज तक वो घर आये है। यह कि उस समय मेरे पति का कद 6 फुट रंग सांवला, पेंट काली, नीली शर्ट बाल लम्बे व लम्बी दाढ़ी आयु करीबन 30 वर्ष थी।

दिनांक- 02.2.02.2026

शपथग्रहिता
माया कौर

बेदखली सूचना

मैं जयवीर पुत्र रामकुमार उम्र 38 वर्ष जाति जांगिड़ निवासी वार्ड नं. 23, स्वामीयों की ढाणी, कस्बा राजगढ तहसील राजगढ़ जिला चूरू का हूं जो कि निम्न तथ्य शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि :-1. यह कि मेरा पुत्र जय भगवान उम्र 21 वर्ष, मेरे व मेरे परिवार के नियंत्रण से बाहर है व परिवार के किसी भी सदस्य का कहना नही मानता है तथा ना ही हमारे साथ रहता है। अपनी मनमर्जी से बाहर रहता है तथा अपना अलग कमाता-खाता है। मेरा व मेरे परिवार से उसका कोई सम्पर्क नही है। मेरा पुत्र आवारा रहता है जो आये दिन मेरे व परिवार के अन्य परिजनों से लड़ाई-झगड़ा करता रहता है। मेरा पुत्र जय भगवान पिछले 06 माह से मेरे व मेरे परिवार के सभी सदस्यों से नियंत्रण से बाहर है व लगातार घर से बिना बताये बाहर रहता है। मेरे पुत्र जय भगवान ने हमारी जानकारी व मर्जी तथा सहमति के बिना तथा समाज बिरादरी से बाहर जाकर हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए सुमन कुमारी पुत्री हंसराज निवासीनी शास्त्री नगर, हाऊस नं. 1499 हिसार (हरियाणा) से प्रेम विवाह करने की हमें जानकारी हुई है। हमारा जय भगवान व सुमन कमारी से कोई लेना-देना व सम्पर्क नही है। वर्तमान में मेरा पुत्र जय भगवान कहां व किसके साथ रह रहा है इसका मुझे कुछ पता नही है। मेरे पुत्र जय भगवान से मेरा व मेरे परिजनों का कोई संबध नही रहा है। जिस कारण मैं मेरे पुत्र जय भगवान को मेरी चल व अचल सम्पति से बेदखल करता हूँ, मेरा पुत्र जय भगवान भविष्य में जो भी कार्य करेगा, उसकी जवाबदेही मेरे पुत्र जय भगवान स्वयं की होगी। मेरे पुत्र जय भगवान द्वारा किये गये किसी भी कार्य व कोई लेन-देन के संबंध में मेरा व मेरे परिवार का कोई उत्तरदायित्व नही होगा। भविष्य में जय भगवान या सुमन कुमारी से कोई व्यक्ति संव्यवहार करता है तो अपने स्तर पर करें, मैं या मेरे परिवारजन जिम्मेवार नही होंगे।

दिनांक.03.02.2926

शपथग्रहिता-जयवीर

सिंधु जल समझौते का पानी काटली में प्रवाहित करने की मांग

गुढ़ागौड़जी, (निसं)। काटली नदी बचाओ जन अभियान संयोजक सुभाष कश्यप ने सोमवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से राजकीय आवास पर आयोजित जन सुनवाई में भेंट कर काटली नदी को पुनर्जीवित करने की मांग की। पाकिस्तान को सिंधु जल समझौता अंतर्गत दिया जाने वाले पानी के करार को ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत ने रद्द कर दिया था। उक्त जल को काटली नदी में बांध बनाकर पाइपलाइन के जरिए प्रवाहित किए जाने की मांग की।

सरस्वती रूरल एंड अरबन डवलपमेंट सोसाइटी झुंझुनूं अध्यक्ष सुभाष कश्यप ने मांग पत्र में नदी क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए बीजी राम जी के जरिए उपयोगी कार्य करवाते हुए पौधारोपण, समतलीकरण, सीमांकन इत्यादि की मांग की। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में केंद्र सरकार से चंबल, काली सिंध, पार्वती, लूणी, साहबी, घग्घर, काटली, सोती, बनास, बाण इत्यादि नदियों को आपस मे जोड़ने, नदी बहाव क्षेत्र के जल दोहन को नियंत्रित करने, ड्रोन द्वारा कृत्रिम बारिश करवाने व काटली नदी की 1947 की राजस्व रिकॉर्ड स्थिति को बहाली, आस पास की बंजड, चारागाह एवं वन विभाग की भूमि को भी अतिक्रमण मुक्त करवा कर इसे वन्य जीव अभ्यारण बनाने की मांग की। कश्यप ने कहा कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के आदेश पर काटली नदी से अतिक्रमण हटाने का महा अभियान जारी है। ऐसे में सरकार को भविष्य में होने वाले फिर से अतिक्रमणों की प्रभावी रोक की मांग का आग्रह करते हुए काटली नदी के सहायक नालों व जल स्त्रोतों को भी अतिक्रमण मुक्त करने की मांग की।

काटली नदी में अतिक्रमण हटाने व आवंटन निरस्त करने के उपरांत प्रभावित व्यक्तियों की आजीविका के लिए संबंधित को विस्थापित अथवा आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने का भी आग्रह किया।

सार-समाचार

चूरू के पुस्तकालयों को समृद्ध करेगा धारीवाल परिवार

जयपुर (निसं)। प्रयास संस्थान चूरू की एक अनूठी और अभिनव्य पुस्तक उपहार योजना अंतर्गत राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू में प्रोफेसर रहे इतिहासविद नौरत्नचंद धारीवाल की स्मृति में उनके पुत्र सुनील, हेमंत, संजय धारीवाल चूरू अंचल के पुस्तकालयों को समृद्ध करेंगे। प्रयास संस्थान के सचिव कमल शर्मा ने बताया कि धारीवाल परिवार पुस्तकालय समृद्धि एवं साहित्यकारों तक पुस्तकों की लागत पहुंचाने के पुनीत ध्येय से संचालित "प्रयास पुस्तक उपहार योजना" से जुड़ें हैं। इस संबंध में धारीवाल परिवार के हेमंत धारीवाल ने प्रयास संस्थान अध्यक्ष डॉ. दुलाराम सहारण के साथ प्रतिवर्ष अस्सी हजार एवं पंचवर्षीय चार लाख रुपये की पुस्तकें क्रय का अनुबंध किया है। यह आयोजन प्रतिवर्ष प्रो. धारीवाल के स्मृति दिवस पर सितंबर माह में होगा। आयोजन में पुस्तकों पर संवाद, प्रश्नोतरी, समीक्षा, पत्रवाचन आदि प्रतियोगिताएं भी होंगी और विजेता प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। संस्थान अध्यक्ष एवं राजस्थान साहित्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष डॉ. दुलाराम सहारण ने बताया कि "पाठक के हाथ में पुस्तक, लेखक के हाथ में लागत" सोच के साथ संचालित इस योजना में चूरू अंचल एवं राजस्थानी भाषा की प्राथमिकता के साथ क्रमश: विस्तार दिया जाएगा।

राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा

पाटन (निसं)। केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में किए जा रहे हालिया बदलावों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। कांग्रेस का आरोप है कि इन परिवर्तनों से मनरेगा का मूल उद्देश्य और स्वरूप ही समाप्त होने की कगार पर है, जिससे ग्रामीण गरीबों, मजदूरों और बेरोज़गारों के 100 दिन के गारंटीशुदा रोजगार का अधिकार खतरे में पड़ गया है। मनरेगा को उसके मूल स्वरूप में बनाए रखने तथा इसे और अधिक सशक्त करने की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में लिखा गया कि मनरेगा जैसी जनकल्याणकारी योजना देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और इसे कमजोर करने के बजाय बजट, रोजगार दिवस और मजदूरी दर बढ़ाकर मजबूत किया जाना चाहिए।कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मनरेगा केवल रोजगार की योजना नहीं, बल्कि ग्रामीण जनता को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का संवैधानिक अधिकार दिलाने का माध्यम है। यदि इसमें कटौती या शर्तें बढ़ाई जाती हैं, तो इसका सीधा असर देश के करोड़ों गरीब परिवारों पर पड़ेगा।

चिकित्सकों का सम्मान समारोह आयोजित

रतनगढ़ (निसं)। सनातन सेवा न्यास के तत्वावधान में मंगलवार को सेठ सूरजमल जालान जिला अस्पताल, रतनगढ़ में नवनियुक्त चिकित्सकों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह के दौरान चर्म रोग विशेषज्ञ डॉ. संजीव कुमार, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ.भानीराम सारण एवं पीएमओ सुरेंद्र कुमार का न्यास के पदाधिकारियों द्वारा माल्यार्पण कर अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर पीएमओ सुरेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि रतनगढ़ जिला अस्पताल में मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लेबोरेटरी सेवाओं को अब 24 घंटे संचालित किया जाएगा। साथ ही अस्पताल में डिजिटल, आधुनिक एवं अत्याधुनिक मशीनों की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जा रही है, जिससे मरीजों को समय पर सटीक एवं बेहतर जांच सेवाएं मिल सकेगी।

सबलानिया सम्मानित होंगे

झुंझुनूं, (निसं)। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड राज्य मुख्यालय जयपुर के तत्वावधान में राज्य स्तरीय राज्य पुरस्कार अवार्ड समारोह का आयोजन नौ से 12 फरवरी तक राज्य प्रशिक्षण केंद्र जगतपुरा जयपुर पर किया जाएगा। सीओ स्काउट महेश कालावत ने बताया कि यह राज्य स्तरीय पुरस्कार सम्मान समारोह माननीय राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के मुख्य आतिथ्य आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर नवलगढ निवासी शिक्षा के क्षेत्र में राज्य पुरस्कार प्राप्त सेवानिवृत्त शिक्षक, जिले के जिला कमिश्नर हैडक्वार्टर, राष्ट्रीय ट्रेनिंग टीम के सदस्य रामावतार सबलानिया को स्काउट गाइड संगठन में उत्कृष्ट एवं उल्लेखनीय सेवाओं के लिए मैडल ऑफ मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा।

बेटी के जन्मोत्सव पर छाई खुशियां, डीजे के साथ हुआ कुआं पूजन

पाटन (निसं)। महावा ग्राम में बेटी के जन्म पर खुशियों का अनोखा नजारा देखने को मिला। विनोद कुमार भार्गव एवं उनकी पत्नी आशा भार्गव के घर दूसरी पुत्री का जन्म हुआ, जिसका परिवार ने उत्साहपूर्वक जन्मोत्सव मनाया। बेटी का नाम तुलसी रखा गया।इस अवसर पर पूरे परिवार एवं ग्रामीणों की उपस्थिति में डीजे के साथ पारंपरिक रीति-रिवाजों से कुआं पूजन किया गया। बेटी के जन्म पर जीमणवार का आयोजन कर खुशियां मनाई गई। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों को मिठाइयां वितरित की गई।

RIICO GROW WITH RAJASTHAN
राजस्थान सरकार का उपक्रम
RISING RAJASTHAN REPLETE • RESPONSIBLE • READY

औद्योगिक विकास के खुल रहे नये द्वार
आप भी बनें भागीदार
सरल ई-नीलामी के माध्यम से आवंटन

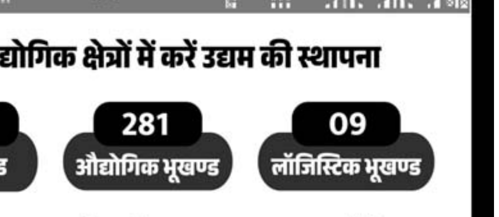

आधारभूत सुविधाओं युक्त औद्योगिक क्षेत्रों में करें उद्यम की स्थापना

61 कुल औद्योगिक क्षेत्र | 290 कुल भूखण्ड | 281 औद्योगिक भूखण्ड | 09 लॉजिस्टिक भूखण्ड

उपरोक्त औद्योगिक क्षेत्रों पर प्रत्यक्ष आवंटन योजना-2025 लागू नहीं है

ईएमडी प्रारम्भ तिथि: 04 फरवरी, 2026 (प्रात: 10:00 बजे) अंतिम तिथि: 18 फरवरी, 2026 (सायं 06:00 बजे)
ऑनलाईन बिड प्रारम्भ तिथि: 19 फरवरी, 2026 (प्रात: 10:00 बजे) अंतिम तिथि: 23 फरवरी, 2026 (सायं 05:00 बजे)

28	आबू रोड़	01	चूरू	34	नागौर	07	उदयपुर
35	अजमेर	08	बीकानेर	07	पाली	02	जयपुर (दक्षिण)
03	अलवर	14	श्रीगंगानगर	24	झालावाड़	02	जयपुर (उत्तर)
07	भिवाड़ी-I	08	किशनगढ़	01	जालोर	22	ईपीआईपी सीतापुरा, जयपुर
23	भिवाड़ी-II	13	भीलवाड़ा	11	राजसमंद	02	जोधपुर
06	बोरानाडा	01	जयपुर (ग्रामीण)	20	कोटा	03	सवाईमाधोपुर
05	घिलोठ			03	नीमराना		

राज.संवाद/सी/25/19083

*25% भुगतान के बाद, शेष 75% भुगतान 11 किश्तों में 8.5% ब्याज के साथ या 120 दिनों के भीतर ब्याज रहित भुगतान
या
रीको की टर्म लोन स्कीम के तहत भूमि की लागत का 75% तक का ऋण 5 साल की पुनर्भुगतान अवधि एवं 8.5% ब्याज के साथ
*केवल औद्योगिक भूखण्डों के लिए

आवेदन के लिए QR कोड स्कैन करें

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302005
ई-नीलामी हैल्पलाइन नं. 0141-4593250, 4593237, व्हाट्सएपः +91 9001306515, ई-मेल: riico@riico.co.in
आवंटन से सम्बंधित नियमों एवं शर्तें, ईएमडी विवरण, रजिस्ट्रेशन एवं भूखण्ड से सम्बंधित जानकारी के लिए देखें
https://riico. rajasthan.gov.in या https://www.riico.co.in